

उप निदेशक (वैसा)
उप निदेशक (वैसा)

आदेश संनाया गया।

तकमील दाखिल दफतर हो।

खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शंभार होकर बाद

अतः वादिया का वाद पत्र अदम हलारी व अदम पैरवी में

चलाना नहीं चाहती है।

वादिया अपने वाद पत्र के प्रति शंभार नहीं है तथा वाद पत्र को

भी कोई कति नहीं ली गयी है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि

इसके अलावा वादिया द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी करवाने में

बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है।

आज पत्रावली पेश हुई। वादिया व उनके वकील को बार

दिनांक 06-03-2020
उप निदेशक (वैसा)

उप निदेशक (वैसा)

वादिगा उपनिदेशक शंभार नगरी दि. 6.3.20

अतः पत्रावली पेश हुई।

9-3-20

उप निदेशक (वैसा)
उप निदेशक (वैसा)

उप निदेशक (वैसा) दि. 8-3-20

अतः पत्रावली पेश हुई।

उप निदेशक (वैसा) दि. 13-2-20

वादिगा उपनिदेशक शंभार नगरी दि. 13-2-20

अतः पत्रावली पेश हुई।

13.2.20

उप निदेशक (वैसा)

उप निदेशक (वैसा) दि. 13-2-20

अतः पत्रावली पेश हुई।